<u>न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर</u> ।

<u>जी0आर0सं0ः–488/2020</u>

ओबरा थाना कांड संख्या ः–146/2020

<u>02.07.2020</u> आवेदक/अभियुक्त रईस आलम की ओर से ई–फायलिंग के तहत शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया तत्पश्चात् न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई । आवेदक की ओर से वाहन चालक का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं उक्त वाद में दुर्घटनाग्रस्त वाहन का आर.सी की छायाप्रति दाखिल किया गया ।

वाद पुकार पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है । आवेदक उक्त वाद में जप्त ट्रक निबंधन संख्या–**UP21CN6466** का चालक है । उक्त वाद की सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते है ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि प्राथमिकी ट्रक निबंधन संख्या–**UP21CN6466** का चालक के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 एवं 427 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है । आवेदक के द्वारा स्वयं का चालक अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी दाखिल किया गया है । उपरोक्त सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । आवेदक स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जिससे यह संभव प्रतीत होता है कि वह विचारण का सामना करेगा । अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदक का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त को मो0–10000X2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है । वर्तमान में अभी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति है तथा माननीय उच्च न्यायालय पटना के पत्र संख्या–25067–25103/**A.D.(MISC.). IV-116(PF-C)2016** दिनांक–01.06.2020 के आलोक में इस शर्त के साथ बंधपत्र दाखिल करने से छूट दी जाती है कि आवेदक व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करेगा तथा इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि वह तीन माह के अंदर या लॉकडाउन समाप्ति के तुरंत बाद बंधपत्र दाखिल करेगा ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।